न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/27/2026 दायर दिनांकः–06.04.2026 रजि० न० 2026/53

अपीलार्थीः–

श्री चन्द्रपाल नि० एफ–54, संजय कॉलोनी, भाटी माईन्स, नई दिल्ली–110074

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 27.04.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 12.01.2026 के परिपेक्ष्य में मिली सूचना से असंतुष्ट होने बाबत अभिकथन किया गया है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.04.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/479 दिनांक 27.04.2026 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 12.01.2026 के माध्यम से चाही गई वांछित अधिकांशतः सूचना इस लोक प्राधिकरण स्तर पर तहसीलदार रामगढ से संबंधित होने के कारण पत्र सं. 266–89 दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से सूचना आवेदन अंशतः तहसीलदार रामगढ को अंतरित कर प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई। प्रश्नगत सूचना आवेदन के संदर्भ में अंशतः राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर, पत्र सं. 384–86 दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से, जिसकी प्रति शासन सहायक सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय जयपुर को भी अग्रेषित की गई, अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है तथा इसी क्रम में तहसीलदार रामगढ़ के पत्र सं. 765 दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का उनके पत्र सं. आरटीआई/2026/67 दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से बिन्दुवार सूचित किया जा चुका है। प्रति संलग्न है।
6. चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संबंधी विशिष्टियां पूर्ण वर्गीकृत/स्पष्ट नहीं है, आवंटित भूमि के आराजी खसरा नबरान का अंकन नहीं है, आवंटित भूमि के संबंध में आवंटन पत्र या आवंटित वर्ष/दिनांक के अंकन के अभाव में अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(बी) के अनुक्रम में किसी प्रकार की सूचना अदेय है तथा साथ ही वांछित सूचना दिनांक 02.02.1959 के क्लेमेंट कार्ड के संबंध में चाही गई है जो कि लगभग 66 वर्ष पुराना अभिलेख होने के कारण अधिनियम 2005 की धारा 7(9) व धारा 8(1)(जे) मय धारा 8(3) आलोक में सर्च कराया जाना असंभव है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
7. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/479 दिनांक 27.04.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 27.04.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर